# न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

**पीठासीन अधिकारी** :– शुचि त्यागी, आई.ए.एस., जिला कलक्टर धौलपुर

**अपील नम्बर** :– 127/2017

उनवानी प्रकरण :–

रामप्रसाद पुत्र बुद्धाराम जाति कुशवाह निवासी ग्राम गुजर्रा खुर्द (महुआखेडा) तहसील बाडी जिला धौलपुर——————————————————अपीलान्ट

**बनाम्**

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार कंचनपुर जिला धौलपुर —— रेस्पोडेण्ट।

**अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 16.02.2017 नायब तहसीलदार कंचनपुर प्र.सं. 132/17 उनवानी राज0 सरकार बनाम रामप्रसाद अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956**

**उपस्थिति :–**

1. अपीलान्ट की ओर से :– श्री भगवती प्रसाद झा अभिभाषक।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से :– श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक।

**निर्णय दिनांक :–29.12.2017**

**निर्णय**

अपीलान्ट द्वारा यह अपील नायब तहसीलदार कंचनपुर के निर्णय दिनांक 16.02.2017 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कि पटवारी हल्का ग्राम महुआखेडा ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि अपीलान्ट ने आराजी खसरा नम्बर 1801 रकवा 59 बीघा 01 बिस्वा में से 02 बीघा भूमि पर फसल सरसो बोकर कब्जा कर लिया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट को आराजी से बेदखल किये जाने, भू–राजस्व का 50 गुना शास्ति एंव एक माह के सिविल कारावास से दण्डित किये जाने के आदेश पारित किये गये। उक्त आदेश एकपक्षीय रूप से सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया गया। अपीलान्ट एक साधू महात्मा है। जिसका करीब 25 सालो से जीवन मन्दिर में पूजा–अर्चना करते हुए व्यतीत हो रहा है। अपीलान्ट सांसारिक मोह माया त्याग कर साधू–महात्मा का जीवन व्यतीत कर रहा है। आराजी खसरा नम्बर 1801 के रकवा 2 बीघा पर कमलसिंह, ज्योतीराम पुत्रगण गोधना जाति ठाकुर निवासी पंजीपुरा तहसील बाडी का कब्जा है। उक्त लोगो द्वारा पटवारी से साज कर रंजिशन अतिचार की गलत रिपोर्ट तैयार कराई गई है। आदेश की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 02.10.2017 को हनुमान मन्दिर गुजर्रा पर ग्रामीणो के द्वारा दी गई। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि पेश है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.02.2017 खारिज किया जावे।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
धौलपुर

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी कर तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री गोपाल नारायण शर्मा उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गयी।

अपीलान्ट ने अपनी अपील के समर्थन में आदेश दिनांक 16.02.17 एंव रिपोर्ट पटवारी हल्का की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को विवादित आराजी पर अतिक्रमी मानते हुए शास्ती एवं एक माह के कारावास से दण्डित करने का आदेश पारित किया है, जो अवैध है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि अपीलान्ट अतिक्रमी है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत रूप से नोटिस की तामील अपीलान्ट पर नही कराई है और ना ही साक्ष्य एंव सुनवाई का अवसर प्रदान किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एकपक्षीय है जो अपीलान्ट पर किसी भी प्रकार से प्रभावी नहीं होता है। अपीलान्ट एक साधू महात्मा है। जिसका करीब 25 सालो से जीवन मन्दिर में पूजा–अर्चना करते हुए व्यतीत हो रहा है। अपीलान्ट सांसारिक मोह माया त्याग कर साधू–महात्मा का जीवन व्यतीत कर रहा है। आराजी खसरा नम्बर 1801 के रकवा 2 वीघा पर कमलसिंह, ज्योतीराम पुत्रगण गोधना जाति ठाकुर निवासी पंजीपुरा तहसील बाडी का कब्जा है। उक्त लोगो द्वारा पटवारी से साज कर रंजिशन अतिचार की गलत रिपोर्ट तैयार कराई गई है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को ग्रामीणो से हुई। अपील प्रस्तुत किये जाने में किसी प्रकार की लापरवाही व देरी नही की है। धारा 05 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.02.17 खारिज किया जावे।

रैस्पोडेण्ट के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया, कि अपीलार्थीगण विवादित आराजी पर बार–बार अतिक्रमण करने के आदी है जो पश्चातवर्ती अतिक्रमी की परिभाषा में आता है, जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट, बयान एवं खसरा परिवर्तनशील से होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामील अपीलान्ट पर हुई है। नोटिस तामील पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर है। अतः अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन उचित नहीं है कि अपीलान्ट पर नोटिस की तामील नही हुई है। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन कि अपीलान्ट को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर नही दिया गया सत्य नही है क्योकि अपीलान्ट जानबूझकर बावजूद नोटिस तामील के अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही हुआ। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार की कोई कानूनी भूल नहीं की गई है। निर्णय पूर्ण रूपेण सही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.02.2017 यथावत रखा जावे।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
धौलपुर

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। बहस सुनने एवं उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन कर मनन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि :–

1. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध फसल नीलामी कार्यवाही मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण द्वारा आराजी पर फसल सरसो बोकर अतिक्रमण किया गया है।
2. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट, बयान एवं खसरा परिवर्तनशील से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण विवादित भूमि पर पूर्ववर्ती अतिक्रमी है।
3. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक के इस कथन से हम सहमत नहीं है कि अपीलान्ट पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन की तामील विधिवत नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामील अपीलान्ट स्वयं पर हुई है। नोटिस प्राप्ति पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर है।
4. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन कि अपीलान्ट को सुनवाई एंव साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नही दिया गया है, असत्य है क्योकि अपीलान्ट बावजूद नोटिस तामील के अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही हुआ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.02.2017 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापिस भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( शुचि त्यागी )
जिला कलक्टर, धौलपुर

जिला कलक्टर
धौलपुर